

मा०

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, महाराजगंज ।

वाद सं- 03/2008

अन्तर्गत इटारा-143 उप्रोजेटिवानियम
वावत मौजा-जंगल दुधाई उर्फ खेड़ी, तप्पा-कटहरा
परगना-हेड़ी, तहसील-सदर, जनपद-महाराजगंज ।

शास्त्रान्वि भेमोरियल दस्ट बनाम श्रीमती नीरा श्रीवास्तव आदि ।

आदेश

अभ्याय कुमार श्रीवास्तव मुख्य दस्टी, शास्त्रान्वि भेमोरियल दस्ट, मकान नं-0-132, जी. एच. अ० क नगरकृष्णनगर जनपद-गोरखपुर द्वारा दिनांक-20-12-2007 को वाद प्राप्त निरापत्र अन्तर्गत इटारा-143 उप्रोजेटिवानियम एवं मूर्मि च्यवस्था अधिकानियम प्रस्तुत करते हुए याचना किया गया है कि आराजी नं-0-156। मि. रक्षा 3-035 है० स्थात ग्राम जंगल दुधाई उर्फ खेड़ी तप्पा-कटहरा, परगना-हेड़ी, जरिये पंजीकृत हिब्बानामा दिनांक-16-11-2007 को तहरीर कराया गया है। बाद तहरीर राजस्व अभिलेखा में क्रेता का नाम दर्ज हो चुका है जिसमें शिरका संस्थान हेतु मावन निर्माण किया जाना है। दर्ज हो चुका है जिसमें कांकड़ा स्म में प्रयोग समर्पण हो गया है अतः प्रश्नगत आराजी का कृष्णा स्म में आवादी दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

बाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तहसीलदार, सदर को जौच हेतु भोजी गयी। बाद जौच तहसीलदार, सदर की जौच आख्या दिनांक-10-1-2008 न्यायालय पर प्रस्तुत हुआ है।

भेन वादी के बिदान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखायी साक्ष्य व तहसीलदार, सदर की आख्या का सम्यक् सम से अबलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम जंगल दुधाई उर्फ खेड़ी की छातीनी सन् 1410 से 1415 फ० के छाताता सं-923 गाठा सं-156। रक्षा 4-56। है० रामेन्द्र पुत्र शिवसहाय के नाम रहा है जिसमें से वादी का नाम बतौर हिब्बानामा तहसीलदार, सदर के आदेश दिनांक-16-11-07 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखा में दर्ज हो चुका है। छाताता सन् 1415 फ० स्थात ग्राम जंगल दुधाई उर्फ खेड़ी में प्रश्नगत आराजी आवादी के स्म में दर्ज है। तहसीलदार की आख्या है आराजी नं-0-156। मि. रक्षा 3-035 है० गैर कृष्णा प्रयोज्य दाओषित किया जाता है। उक्त मूर्मि पर कृष्णा कार्य नहीं किया जाता है। तहसीलदार, सदर द्वारा प्रश्नगत आराजी को इटारा-143 के अन्तर्गत अकृष्णाक दाओषित करने की संस्तुति की गयी है।

समस्त तथ्यों के परीक्षण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मूर्मि एवं कृष्णा कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि मकान तथा मकान के सहन के स्म में उपयोग में लाया जा रहा है। अतः तहसीलदार, सदर की संस्तुति के त्रैम अराजी सं-0-156। मि. रक्षा 3-035 है० गैर कृष्णा प्रयोज्य दाओषित किया जाता है। तबुनुसार बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागारित हो।

अमर पाल सिंह,
उप जिलाधिकारी, सदर
महाराजगंज ।

सत्य प्रतिलिपि

३०११६

अभिलेखागार
महाराजगंज

८६८

न्यायालय उप जिलापिकारी, सदर, महाराजगंज ।

वाद सं- ०४/२००८

अन्तर्गत द्वारा-१४३ ३०५०५०विधिपानियम
वावत मौजा-जंगज दुधाई उर्फ धेरी, तप्पा-कटहरा
परगना-हेली, तहसील-सदर, जनपद-महाराजगंज ।

इतान्त्रिमोरियल दस्ट बनाम राजिन्दा ।

अदेश

इतान्त्रिमोरियल दस्ट द्वारा मुख्य दस्टी अभ्यु कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री केशव चन्द्र श्रीवास्तव, मकान न०-१३२ जी. एक अद्वैत नगरीलदारत पुरूष द्वारा गोरखपुर द्वारा दिनांक- १५. १०. २००८ को वाद प्राप्ति नियम अन्तर्गत द्वारा-१४३ ३०५०५०विधिपानियम एवं भूमि व्यवस्था अधिपानियम प्रस्तुत करते हुए याचना किया गया है कि आराजी न०-१५६१ मि० रकबा ०-७१३ है० व आराजी न०-१५६२ रकबा ०-४०५ है० स्थात ग्राम जंगल दुधाई उर्फ धेरी तप्पा-कटहरा, परगना-हेली जरिये पंजीकृत बैनामा दि०-१०. १२. ०७ को तहरीर कराया गया है बाद तहरीर राजस्व अभिलेखा में क्रेतावादी४ का नाम दर्ज हो चुका है जिसमें इंजिनियरिंग शिक्षण संस्थान ब्लाने हेतु भावन का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्नगत आराजियात का कृष्णा स्म में प्रयोग समाप्त हो चुका है। अतः प्रश्नगत आराजी को अभिलेखा में आबादी दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तहसीलदार, सदर को जाँच हेतु भोजी गयी। बाद जाँच तहसीलदार, सदर की जाँच आड्या दिनांक-१८. १०. २००८ न्यायालय पर प्रस्तुत हुआ। मैंने बादी के बिदान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों व तहसीलदार की आड्या का सम्बद्ध स्म से प्रश्नगत आराजियात का स्म में दर्ज है। तहसीलदार की आड्या है कि प्रश्नगत आराजी आबादी के स्म में दर्ज है। तहसीलदार की आड्या है कि प्रश्नगत आराजी में कृष्णा कार्य नहीं होता है बल्कि इतान्त्रिमोरियल दस्ट के नाम अंकित अभिलेखा है तहसीलदार, सदर द्वारा अकृष्टाक भूमि दाओषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपर्युक्त तत्त्वों के परीक्षण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमिकाएँ वादी द्वारा इंजिनियरिंग शिक्षण संस्थान ब्लाने हेतु भावन का निर्माण किया जा रहा है तत्काल में तहसीलदार, सदर द्वारा अकृष्टाक दाओषित किये जाने की संस्तुति भी की गयी है। ऐसी स्थिति में आराजी न०-१५६१ मि० रकबा ०-७१३ है० व आराजी न०-१५६२/४०३२ रकबा ०-४०५ है० स्थात ग्राम जंगल दुधाई उर्फ धेरी गैर कृष्णा प्रयोज्य दाओषित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवादी पत्रावली अभिलेखा आगारित हो।


अमृत पाल सिंह
उप जिलापिकारी, सदर
महाराजगंज ।

पत्रस्व अभिलेखागार
कलेक्टर - महाराजगंज

प्रतिलिपि कर्ता.....
तलाना कर्ता.....

नव प्राची श्री शुभेन्दु बिहारीलल
द्वारा सदाल २४३३
द्वारा सदाल २९-२-१६
द्वारा सिल १३-
द्वारा सदाल ३०००५७७१
द्वारा सोलिस २९-२-१६
द्वारा द्वारा नवीनी २९-२-१६
द्वारा सदाल ३

लत्य प्रतिलिपि



अभिलेखागार
पत्रस्व अभिलेखागार
महाराजगंज